GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 1837
TO BE ANSWERED ON 17.03.2022

DETAILS OF PENSIONABLE MEMBERS IN EPFO

1837. SHRI K. SOMAPRASAD:

Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:

(a) whether any new pension scheme is likely to be introduced by the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) for the employees whose salary is ₹ 15000/- or more pm;
(b) if so, the details thereof and the details and total number of pensioner members in the EPFO Scheme currently;
(c) whether Government has the number and details of persons who are excluded as a result of EPFO amendment in 2014, if so, the details thereof; and
(d) whether Government agrees with Kerala High Court's order to allow higher pensions to higher contributions, if so, the details thereof, if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)

(a) & (b): No, Sir. The total number of pensioners benefited under the Employees' Pension Scheme (EPS), 1995 during the year 2020-21 is 6919823.

(c): The wage ceiling for coverage under the Employees' Provident Fund (EPF) Scheme, 1952 was enhanced from Rs.6500/- to Rs.15000/- per month with effect from 01.09.2014 resulting in coverage of more employees under the ambit of EPF Scheme.

(d): The issue of granting higher pension under the Employees' Pension Scheme, 1995 is sub-judice in the Hon'ble Supreme Court of India.

****

https://www.staffnews.in

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1837

गुरूवार, 17 मार्च, 2022/26 फाल्गुन, 1943 (शक)

ईपीएफओ में पेंशन के पात्र सदस्यों का विवरण

1837. श्री के. सोमप्रसाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा उन कर्मचारियों के लिए जिनका वेतन प्रतिमाह 15000 रूपये या उससे अधिक है, कोई नई पेंशन योजना शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में ईपीएफओ योजना में कुल पेंशनभोगी सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास वर्ष 2014 में ईपीएफओ संशोधन के परिणामस्वरूप पेंशन से बाहर किए गए व्यक्तियों की संख्या और विवरण है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार केरल उच्च न्यायालय के उच्च अंशदान के लिए उच्च पेंशन की अनुमति देने के आदेश से सहमत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): जी, नहीं। वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत् लाभान्वित होने वाले पेंशनभोगियों की कुल संख्या 6919823 है।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के तहत् कवरेज के लिए वेतन सीमा को दिनांक 01.09.2014 से 6500/- रुपये से बढ़ाकर 15000/- रुपये प्रति माह कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ईपीएफ के दायरे में अधिक कर्मचारियों को शामिल किया जा सके।

(घ): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत् अधिक पेंशन देने का मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

*****

https://www.staffnews.in